भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3847

जिसका उत्तर सोमवार, 24 मार्च, 2025/3 चैत्र, 1947 (शक) को दिया गया

आरआईडीएफ के लिए आवंटित निधि

3847. श्री राधेश्याम राठिया:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत निधि आवंटित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं/कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ सहित राज्यवार कितनी निधि आवंटित की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा देश में केंद्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क)से (घ): सरकार ने विभिन्न योजनाओं जैसे ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ), कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ), वेयरहाउस अवसंरचना निधि (डब्ल्यूआईएफ) आदि के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश में ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए कई पहल की हैं।

भारत सरकार, आरबीआई के परामर्श से आरआईडीएफ के लिए वार्षिक आधार पर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की कमी से नाबार्ड को धनराशि आवंटित करती है और नाबार्ड इस निधि को अनुमोदित मानक आवंटन मानदंडों के आधार पर विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को आवंटित करता है। नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरआईडीएफ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-**I** में दिया गया है।

सरकार, विभिन्न केंद्र प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) आदि को कार्यान्वित कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यक्रम का लाभ ग्रामीण गरीबों तक पहुंचे, इसके लिए बहु-स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन तंत्र के माध्यम से इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन पर जोर दिया जाता है। समय-समय पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है।

*****

अनुबंध-I

"आरआईडीएफ के लिए आवंटित निधि" के संबंध में दिनांक 24.3.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3847 के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण।

विगत तीन वर्ष और चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित आरआईडीएफ का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25*
1	आंध्र प्रदेश	2,500	2579	2,600	1,050
2	अरूणाचल प्रदेश	450	401	460	480
3	असम	2,000	2,989	3,100	3,042
4	बिहार	3,000	2,404	2,500	1,910
5	छत्तीसगढ़	1,500	1,784	1,800	1,300
6	गोवा	500	584	550	500
7	गुजरात	3,000	3,597	4,000	3,145
8	हरियाणा	1,800	1,889	1,900	1,400
9	हिमाचल प्रदेश	1,000	911	900	1,000
10	जम्मू और कश्मीर	800	1,395	1,400	900
11	झारखंड	2,100	2,146	2,300	1,800
12	कर्नाटक	2,000	1,979	2,000	2,243
13	केरल	600	710	700	765
14	मध्य प्रदेश	3,036	3,616	3,800	3,600
15	महाराष्ट्र	1,500	1,728	1,450	2,500
16	मणिपुर	150	200	100	100
17	मेघालय	250	257	200	170
18	मिजोरम	300	247	250	150
19	नागालैंड	50	23	40	40
20	ओडिशा	4,000	3,550	3,600	3,387
21	पुडुचेरी	50	120	150	178
22	पंजाब	750	920	900	700
23	राजस्थान	2,500	2,417	2,400	2,712
24	सिक्किम	145	160	150	70
25	तमिलनाडु	3,100	3,115	3,200	3,212
26	तेलंगाना	1,300	1,340	1,450	300
27	त्रिपुरा	400	469	1,000	750
28	उत्तर प्रदेश	1,900	2,681	3,500	2,700
29	उत्तराखंड	500	778	800	795
30	पश्चिम बंगाल	1,800	2,149	2,200	1,900

* वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आंकड़े 28.02.2025 तक